

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-131/2024

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० अजली, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कड़िका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.09.2024 से 27.02.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक :-17/विविध- 01-131/2024 - 1173/17/ पटना, दिनांक :- 12/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० अंजली, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
४४